अध्याय -3
जिले में आपदा प्रबंधनकी संस्थागत व्यवस्था

- जिले में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था
- ज़िलाआपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना एवं दायित्व
- स्थानीय निकाय
- ज़िला प्रशासन के विभाग
- ज़िला स्थित केंद्र शासन के विभाग
- जिले में आपदा प्रबंधन के अन्य हितधारक
- जिले मेंआपदाप्रबंधनहेतु प्रस्तावित संस्थागतव्यवस्था
- ज़िला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन
- ज़िला सलाहकार समिति हेतु प्रस्तावित संरचना एवं दायित्व
- अनुविभाग (विकासखण्ड स्तर) आपदा प्रबंधन समिति
- विकासखंड स्तर आपदा प्रबंधन समिति के दायित्व
- स्थानीय दल
- अनुविभाग एवं ज़िला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम (आई आर टी)

3.1जिले में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था:-जिले में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु **आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 25**के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में **ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन □धिनियम-2005 के प्रावधानों के □ंतर्गत ज़िला प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है।

□िला प्राधिकरण के मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देशन में समस्त विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा □न्य हितधारकों द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न किया □ाएगा। □िले में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था निम्नानुसार है :-

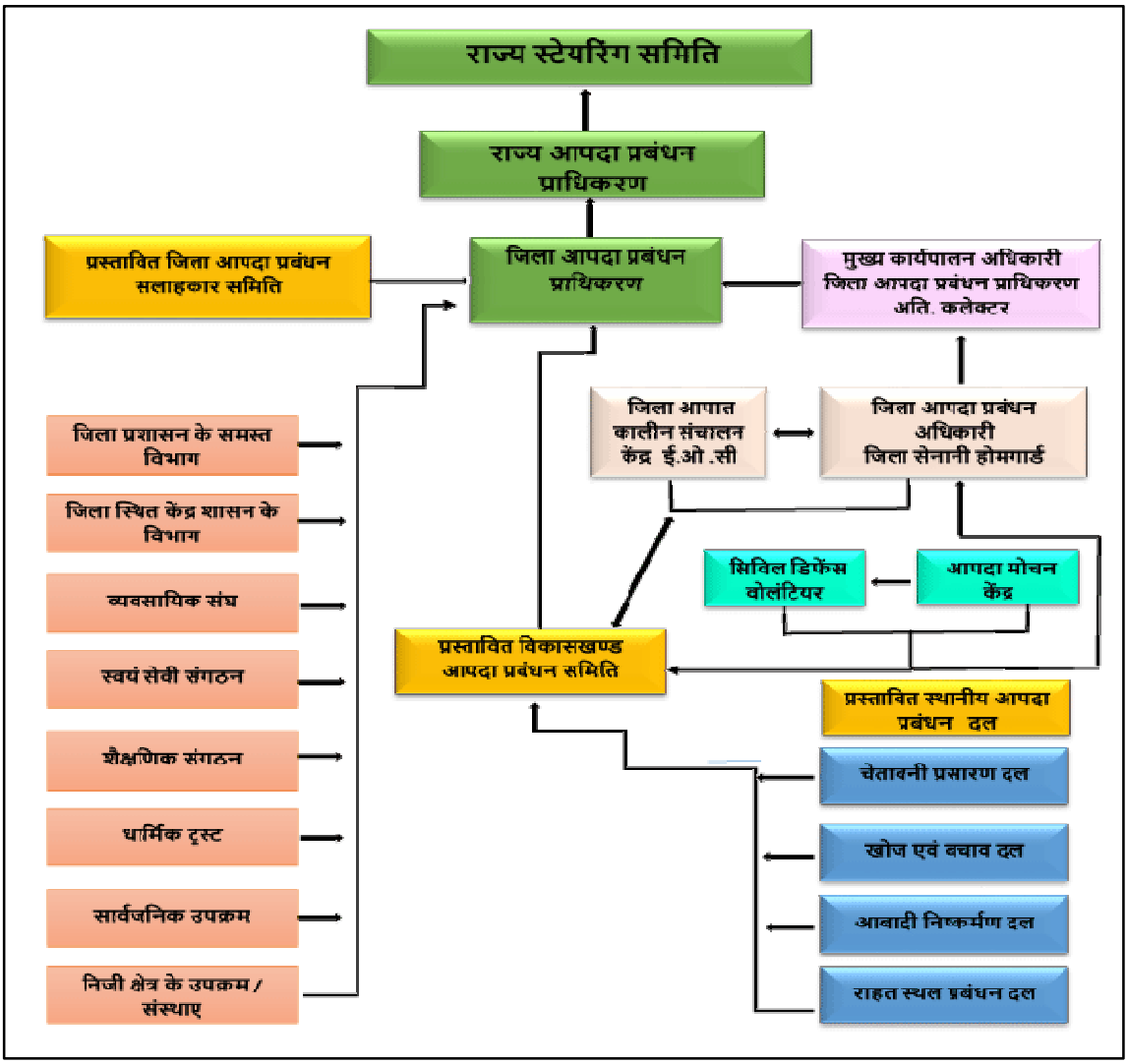

चार्ट: 3.1 : जिले में आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत,अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन, जिले में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन एवं मैदानी स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु **अतिरिक्त कलेक्टर** को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** नियुक्त किया गया है।

- जिले में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु जिला सेनानी, होमगार्ड को राज्य शासन द्वारा **जिला आपदा प्रबंधन □ धिकारी**नियुक्त किया गया हैं □था आपा□कालीन कार्यों के संचालन हे□ जिला होम गार्ड कार्यालय में **जिला आपातकालीन संचालन केंद्र** स्थापित किया गया है ।

- जिले के आपदा संभावित क्षेत्रों में तत्काल एवं तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन हेतु **उमरधा,सांडिया,सोहागपुर , बाबई,गनेरा, बांद्राभान, सेठानी घाट, पहनवारी,आंवली घाट** तथा**आगरा खुर्द** स्थानों में **आपदा मोचन केन्द्र** की स्थापना की गई है,

3.1.2 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना एवं दायित्व: -जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार है:-

तालिका 3.1 : जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना

क्र.	समन्वयक का नाम	पद	**विभाग**	अधिसूचित पद	दूरभाष नं.	मो.नं .
1	श्री शीलेन्द्र सिंह	कलेक्टर		अध्यक्ष	07574-252800	-
2	श्री कुशल कुमार प□ेल	अध्यक्ष	जिला पंचायत	सह अध्यक्ष	-	9752222459
3	श्री अखलेश खंडेलवाल	अध्यक्ष	नगरपालिका	सह अध्यक्ष	-	9425310420
4	के डी त्रिपाठी	अपरकलेक्टर		सचिव	07574-252106	7587975401
5	श्री एम.एल. छारी	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग	सदस्य	07574-252840	--
6	डॉ. पी. के. चतुर्वेदी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	स्वास्थ्य विभाग	सदस्य	07574-252464	9039769297
7	श्री सुभाष बरेले	कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग	सदस्य	07574-252518	9425366514
8	श्री एस के अग्निहोत्री	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य	07574-252364	9425304440
9	श्री संजीव गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	सदस्य	07574-253119	9425436997
10	श्री डी.बी. ठाकरे	अधीक्षण यंत्री	एम.पी.ई.बी	सदस्य	07574-255594	9425303956
11	श्री अनिल वैध	जिला शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग	सदस्य	07574-252426	9826799186
12	श्री आर.के.एस. चैह□	कम□ेंट होमग□	होमग□	सदस्य	07574-252153	9424415374

जानकारी माह –मई2018 तक

राष्ट्रीयआपदाप्रबंधनप्राधिकरण (एनडीएमए) केदिशानिर्देशअनुसार,जिला शिक्षा अधिकारी को जिला प्राधिकरण में सदस्य के रूप में नामांकित किया जाना है ।

<u>आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिलाआपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्व-</u>

- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 -2 (**i** से **XXXiX)** के प्रावधानों को लागु करने हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं निर्देश।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जिला आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
- आपदा मोचन योजना सहित जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर इसे हमेशा द्यतन रखना।
- राष्ट्रीयनीति,राज्य नीति,राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना का जिला स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय और मॉनिटरिंग करना।
- जिले मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर और स्थानीय अधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
- जिला एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
- जिला स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
- जिला स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं मेंआपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
- किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनरावलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
- आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्विलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
- जिले के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैच्छिकसंस्थाओं के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।
- आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जनता को पूर्व-चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
- यह सुनिश्चित करना की जिला स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपन विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
- जिले की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
- जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
- जिले के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।

- ऐसे भवनों □वं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। □से भवनों और स्थानों में जल प्रदाय और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- राहत संचय और बचाव सामग्री की □ ल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
- आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
- जिले में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
- संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
- जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विद्यालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारियों के नाम एवं संपर्क नंबरो की अद्यतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जिलाआपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होनी अनिवार्य है।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागो के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनो की सूची प्रत्येक वर्ष **जनवरी एवं जुलाई** माह मे अद्यतन की जाएगी ।
- जिले के समस्त शासकीय छात्रावासों की अद्यतन सूचिजिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होना अनिवार्य है।

3.1.3 स्थानीय निकाय:- जिले के समस्त स्थानीय निकाय स्थानीय आपदाओं हेतु पूर्व तैयारी तथा आपदा घटित होने की स्थिति में स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय दलों के समन्वयन में राहत,बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों हेतु जिम्मेदार हैं। ज़िले के समस्त स्थानीय निकाय द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यों सुनियोजित रूप से करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP)** तैयार किया जाएगा तथा आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभागीय दायित्वों का संचलन किया जाएगा। विभागीय योजना तथा मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP)** तैयार करने हेतु कृप्या अध्याय-**4** पेरा **4.1.3** को संदर्भित करें ।

3.1.4 जिला प्रशासन के विभाग:-ज़िले में आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु जिला प्रशासन के समस्त विभाग मुख्य रूप से विभागीयआपदा प्रबंधन कार्यों को निश्चितसमयअवधि में राज्य एवं जिला प्राधिकारणों के निर्देशानुसार सम्पन्न करने तथा आपदा की गंभीर स्थितियों में जिला एवं अनुविभाग स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम के समन्वयन एवं निर्देशन में सम्पन्न करने हेतु जिम्मेदार एवं उत्तरदायी हैं। ज़िले के समस्त विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यों सुनियोजित रूप से करने हेतु **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP**) तैयार किया जाएगा तथा आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया □नुसार विभागीय दायित्वों का संचलना किया जाएगा। विभागीय योजना तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने हेतुकृप्या **अध्याय-4 पेरा 4.1.3** को संदर्भित करें **।**

3.1.5जिला स्थित केंद्र शासन के विभाग: - जिला स्थित केंद्र शासन के सम्पूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु जिला प्रशासन के समस्त विभाग मुख्य रूप से विभागीय आपदा प्रबंधन कार्यों को निश्चित समय अवधि में राज्य एवं जिला प्राधिकारणों के निर्देशानुसार सम्पन्न करने तथा आपदा की गंभीर स्थितियों में जिला एवं अनुविभाग स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम के समन्वयन एवं निर्देशन में सम्पन्न करने हेतु जिम्मेदार एवं उत्तरदायी हैं। ज़िले स्थित केंद्र शासन के समस्त विभागों द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यों सुनियोजित रूप से करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP)** तैयार किया जाएगा तथा आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया □नुसार विभागीय दायित्वों का संचलना किया जाएगा। विभागीय योजना तथा मानक संचालन प्रक्रिया (**SOP)** तैयार करने हेतु कृप्या अध्याय-**4** पेरा **4.1.3** को संदर्भित करें ।

3.1.6 : जिले में आपदा प्रबंधन के अन्य हितधारक:-आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अनुसार ज़िले में आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु ज़िला प्रशासन के विभागों के अतिरिक्त, स्थानीय निकाय, केंद्र-शासन के विभाग, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम/ संस्थाएँ, गैर-शासकीय संस्थाएँ, निजी संस्थाएँ, संघ, एसोसिएशन आदि भी जिम्मेदार हैं। ज़िला प्राधिकरण द्वारा इन सभी हितग्राहियों के समन्वयन में तथा इनके पास उपलब्ध संसाधनों के सुनियोजित उपयोग द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न किया जाएगा। ज़िले में आपदा प्रबंधन के उपरोक्त हितग्राहियों से नियमित संपर्क रखा जाएगा तथा इनके संसाधनों की जानकारी संबन्धित नोडल विभाग तथा नोडल अधिकारियों द्वारा रखा जाएगा । नोडल विभाग तथा नोडल अधिकारियों की जानकारी हेतु कृपया अध्याय 5 तालिका 5.6 संदर्भित करें ।

3.2: जिले में आपदा प्रबंधन हेतु प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था:- आपदा प्रबंधन □धिनियम -2005की**धारा28 (I)**में उल्लेखित वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्तजिला स्तर पर सलाहकार समिति, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति तथा स्थानीय स्तर पर (ग्राम/वार्ड) पर आपदा प्रबंधन दलों का गठन योजना के अनुमोदन के एक माह के दौरान जिला प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार कर दिया जाएगा:-

3.2.1: जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन: - आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा 28 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन कार्यों में जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा । यह समिति मुख्य रूप से ज़िले की आपदा संवेदनशीलता केअनुरूप आवश्यक संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के कार्यों, राहत एवं बचाव व्यवस्था, पुनः स्थापन एवं अधोसंरचनाओं के पुनःनिर्माण से संबन्धित आवश्यक सलाह जिला प्राधिकरण को प्रदान करेगी।

3.2.2: जिला सलाहकार समिति हेतु प्रस्तावित संरचना एवं दायित्व-: जिला सलाहकार समिति की प्रस्तावित संरचना निम्नानुसार हैं-

तालिका 3.3 : जिला आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति की प्रस्तावित संरचना

सदस्यों का विवरण	पद
स्थायी सदस्य	
जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत	समन्वयक
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
अतिरिक्त कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	सदस्य
मुख्य परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण	सदस्य
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
नगर निगम आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी	सदस्य
जिला परिवहन अधिकारी	सदस्य
जिलाके समस्त अनुविभागीय अधिकारी	सदस्य
डी.आर.एम. द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
जिला होम गार्ड कमांडेंट एवं जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी	सदस्य
जिला पशु चिकित्सा अधिकारी	सदस्य

समन्वयक,जिला एन. सी. सी	सदस्य
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
सहायक संचालक जिला औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	सदस्य
निर्वाचित जन प्रतिनिधि- सदस्य	
स्थानीय माननीय संसद सदस्य ,जिले के समस्त माननीय विधायक माननीय महापौर,जिला पंचायत अध्यक्ष/ नगरपालिका अध्यक्ष	
अध्यक्ष,जिला प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य स्थानीय स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधि – 01 स्थानीय व्यापारी संघ द्वारा नामित प्रतिनिधि– 01 निजी नर्सिंग होम एसोसियसन द्वारा नामित प्रतिनिधि – 01 स्थानीय ट्रांसपोर्ट संघ के द्वारा नामित प्रतिनिधि –01 स्थानीय जन प्रतिनिधि -01 आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ –02	

समिति के मुख्य दायित्व

- जिले के आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबन्धित **अध्याय 4** में उल्लेखित संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक कार्यों में जिला प्राधिकरण को सलाह देना ।
- जिला स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के उपायों के एकीकरण हेतु जिला प्राधिकरण को अनुशंसा प्रदान करना ।
- जिला प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर जिले की समुचित आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ तैयार करना।
- जिला प्राधिकरण के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी उपक्रमों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम संचालन हेतु रणनीतियाँ तैयार करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुझावित राहत मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावितों को राहत वितरण करने हेतु जिला प्राधिकरण को तकनीकी एवं विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना ।
- राहत व्यवस्था हेतु स्थानीय, शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करना की जिले मे राहत व्यवस्था की गतिविधिया उत्कृष्ट रूप से संपादित हों।
- जिला प्राधिकरण के निर्देशों से स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी उपक्रमों के सहयोग से राहत स्थल की गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुझावित मानकों के अनुरूप आपदा प्रभावितों के पुनःस्थापन हेतु जिला प्राधिकरण को तकनीकी सलाह प्रदान करना ।
- आपदा से प्रभावित अधो-संरचनाओं के पुनःनिर्माण रणनीतियाँ तैयार करना एवं पुनः निर्माण कार्यों की आपदा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में मॉनिटरिंग करना ।
- पुनः स्थापन तथा पुनः निर्माण कार्यों हेतु स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी उपक्रमों से सहयोग प्राप्त करने हेतु जिला प्राधिकरण को सलाह प्रदान करना ।
- पुनः स्थापन तथा पुनः निर्माण कार्यों हेतु अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करना।

3.2.3: अनुविभाग (विकासखण्ड स्तर) आपदा प्रबंधन समिति : -जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित आपदा प्रबंधन कार्यों को मैदानी स्तर पर सम्पन्न करने, विकास खंड के □ंतर्गत न्निंहित आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों में गठित आपदा प्रबंधन दलों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने तथा मैदानी स्तर पर विभिन्न संगठनों के मध्य समन्वयन करने हेतु जिले के समस्त विकास खंडों में विकासखण्ड आपदा प्रबंधन समिति का गठन जिला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

तालिका .34 : विकासखण्ड स्तर आपदा प्रबंधन समिति की संरचना

क्रमांक	सदस्यों के नाम	पद
स्थायी सदस्य		
1.	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत	समन्वयक
3.	जनपद अध्यक्ष	सदस्य
4.	विकासखंड अधिकारी	सदस्य
5.	उप-यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/ ग्रामीण अभियांत्रिकी/लोक निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग	सदस्य
6.	विकास खंड के समस्त तहसीलदार	सदस्य
7.	ब्लॉक मेडिकल आफिसर	सदस्य
8.	विकास खंड के समस्त थानों के थाना प्रभारी	सदस्य
9.	विकास खंड के समस्त राजस्व निरीक्षक	सदस्य
10.	नगर पालिका अधिकारी	सदस्य
11.	आपदा मोचन केंद्र प्रभारी	सदस्य
12.	जिला होम गार्ड कंपनी कमांडेंट	सदस्य
13.	पर्यवेक्षक,महिला सशक्तिकरण	सदस्य
14.	वेटेनरी असिस्टेंट सर्जन	सदस्य
समन्वयक,विकासखण्ड आपदा प्रबंधन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष जिला प्राधिकरण द्वारा नामित सदस्य		
15.	स्थानीय जन प्रतिनिधि -02	
16.	सामाजिक कार्यकर्ता- 01	
17.	स्थानीय स्वयं सेवी संस्था के प्रतिनिधि-01	
18.	स्थानीय धार्मिक संस्था के प्रतिनिधि -01	
19.	स्थानीय शिक्षाविद -01	

3.2.4 विकासखंड स्तर आपदा प्रबंधन समिति के दायित्व :-उपरोक्त विकासखंड स्तर आपदा प्रबंधन समि□,संबन्धि□ विकासखंड में निम्नांकि□ दायित्वों का निर्वहन करेंगी :-

- विकासखण्ड स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- आपदा संभावित ग्राम पंचायत/वार्ड में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना ।
- आपदा संभावित ग्राम पंचायत/वार्ड में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना ।
- आपदा संभावित ग्राम पंचायत/वार्ड में मौक-ड्रिल का आयोजन करना ।

- आपदा के दौरान जिला प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तय्यारी की गतिविधियां जिला प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
- ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, एनजीओ व प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
- आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
- आपातकालीन स्थितियों से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत कराना।
- नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
- यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, जनपद पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी ख़ुद की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.2.5: स्थानीय दल:योजना अनुमोदन के तीन माह के अंतर्गत, जिले के समस्त आपदा प्रभावित ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड में अनुविभाग आपदा प्रबंधन समिति तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय दलों का गठन किया जाएगा। (अध्याय -5 में दलों की संरचना तथा दायित्वों का विवरण दिया गया है ।)

3.2.6: अनुविभाग एवं जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम (आई आर टी):जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा योजना □नुमोदन के तीन माह के □ंतर्गत जिला इंसिडेंट रिस्पौंस टीम तथा समस्त अनुविभाग में अनुविभाग इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया जाएगा। (□ ध्याय -5 में जिला एवं □नुविभाग आई आर टी की संरचना तथा दायित्वों का विवरण दिया गया है ।)